Indian art objects in U.K.

1842. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that thousands of Indian artefacts are gathering dust in a warehouse in South London for the past three decades;

(b) if so, whether Government have taken up the matter with the British Government for the returning back of the entire lot of art objects to India; and

(c) if so, what is U.K. Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not Aries.

असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य योजना

1843. **श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक कार्य योजना बनाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है ताकि सातवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों में उनके कल्याण के लिए अधिक धनराशि दी जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्य योजना (एक्शन प्लान) के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 20 मई, 1987 को हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 36 वें अधिवेशन में लगभग पूर्णतः असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया । सम्मेलन के निष्कर्षों का विवरण संलग्न है ।

विवरण

श्रम मंत्री सम्मेलन के 20 मई, 1987 को हुए 36वें अधिवेशन के निष्कर्ष ।

1. श्रम मंत्रियों ने प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के इस आह्वान का समर्थन किया कि देश के श्रमिक बल के 90% को, जो संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता दी जाए । उन्होंने प्रधान मंत्री की इस घोषणा का भी स्वागत किया कि असंगठित श्रमिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को जांच करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग गठित किया जाएगा । सम्मेलन ने आग्रह किया कि उक्त आयोग का गठन यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाए ।

2. असंगठित श्रमिकों का दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि उनसे घनिष्ठता से संबंधित श्रम कानूनों को लागू किया जाए । इनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियम और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 बंधित श्रम पद्धति (उत्सान) अधिनियम, 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बाल श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1986 बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1986 आदि आते हैं । बागानों और निर्माण उद्योग [illegible] असंगठित श्रमिकों [illegible] क्षुओं की समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । कर्मकारों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

3. इस बात पर [illegible] न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का "गरीबी की रेखा" की धारणा

से संबंध होना चाहिए ? विचार विमर्श के बाद यह सामान्यतः महसूस किया गया कि मजदूरी का स्तर प्रतिदिन 11.00 रुपये से कम नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए। कई राज्यों द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर इस स्तर के बराबर या इससे अधिक है।

4. अनसूची में विशिष्ट नियोजनों को जोड़ने और कम से कम दो वर्ष में एक बार या उपभोक्ता मुल्य सूचकांक मे 50 प्वाइंटों की वृद्धि होने पर, जैसे कि पहल श्रम मंत्री सम्मेलन के जुलाई, 1980 में हुए 31व अधिवेशन में निर्धारित किया गया था, पुनः जोर दिया गया। यह सहमति हुई कि न्यूनतम मजदूरी को विशेषकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन कृषि में रोजगार के बारे में तुरन्त समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी की नई दरें छह मास के भीतर अधिसूचित कर दी जाएंगी।

5. क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के लिए राज्यों को परिचालित दिशानिर्देश सामायन्तः स्वीकार थे, तथापि, क्षेत्रीय समितियां या मंच सांविधिक न होकर, सलाहकार और परामर्शी स्वरूप के होने चाहिएं। इसके अलावा, इन्हें केवल उन्हीं विशिष्ट नियोजनों के बारे में जांच करनी चाहिए जिनमें पड़ोसी राज्य के एक प्रकार के उन्हीं नियोजनो के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अन्य पड़ौसी राज्य या राज्यों में समस्या बन जाती हो।

6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर विशेष रूप से ध्यान देने और इन कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का पता लगाने की आवश्यकता है। विशेषकर, निम्नलिखित के बारे में कार्रवाई करनी होगी :—

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और असंगठित श्रमिकों पर प्रभाव डालने वाले अन्य अधिनियमों के उपबन्धों के बारे में श्रमिकों और नियोजकों की अज्ञानता को दूर करना, जिसके लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संपुष्ट प्रचालन अभियान चलाया जाए।

(ख) राज्य सरकारों के प्रवर्तनतन्त्र को, आवश्यकतानुसार, केन्द्र सरकार से सहायता लेकर सुदृढ़ और अपग्रेड करना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि निरीक्षण स्टाफ के पास आवश्यक गतिशीलता हो जिसे उन्हें परिवहन सुविधा और उनके कार्य के दौरान तब सुरक्षा प्रदान की जाये जब वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य श्रमिकों को शासित करने वाले अन्य विधानों के प्रवर्तन के कार्य में रत हों। केन्द्रीय सरकार इसके लिये राज्य सरकारों को उपयुक्त सहायता देने पर विचार करे।

(घ) राज्य सरकारों के अन्य विभागों, जैसे राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण और इन विभागों, से किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की दशाओं के आधार पर, उपरोक्त कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिये सहायता ली जानी चाहिये।

7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अधीन दावा प्राधिकारियों को ब्लाक स्तर पर नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि श्रमिकों को तुरन्त राहत मिले, इसके अतिरिक्त, अभियोजन प्राधिकारी भी आदर्शतः ब्लाक स्तर में होन चाहियें।

8. असंगठित श्रमिकों को विनियमित करने वाले विधान की मानीटरिंग और इसके कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिये राज्य स्तर के सलाहकार बोर्डों और त्रिपक्षीय बोर्डों/समितियों की नियमित रूप से बैठकें होनी चाहियें।

9. असंगठित श्रमिकों के आय स्तर को बढ़ाने के लिये राज्यों को असंगठित श्रमकों को विनियमित करने वाले कानूनों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करने, गरीबी हटाओ कार्यक्रम तेज करने, रोजगार सृजन कार्यक्रमों को तेज करने और न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिये ।

10. बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें पुनर्वासित करने को 20–सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इस योजना को अन्य गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुक्त कराये गए बंधुआ श्रमिक पुनः बंधुआ न हो जाएं ।

11. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के संबंध में उन राज्यों में संस्पर्क कार्यालय स्थापित किये जाने चाहियें जहां ऐसे कर्मकार कार्य करते हैं । इन कार्यालयों में प्रवासी श्रमिकों के मूल राज्यों से लिये गये अधिकारी रखे जाने चाहियें ताकि प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न अधिनियमों के अधीन उनके हकों के लाभ प्राप्त करने में सहायता दी जा सके ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि राज्य सरकारें संबंधित पक्षों की अनुमति से या उसके बिना भी मामले को उन राज्यों में स्थानांतरित कर सकें जहां से कि कर्मकारों ने प्रवास किया था । केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की गई संयुक्त अध्ययन टीमों को पुनः सक्रिय किया जाना चाहिये ।

12. महिला श्रमिकों के संबंध में यह सहमति हुई थी कि राज्य सरकारों को समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन को असंगठित श्रमिकों से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिये लगाये गये श्रम निरीक्षकों को दिये जाने वाले कार्य के अंश के रूप में बनायेगी । विशेष रूप से उन उद्योगों में, जहां बड़ी संख्या में महिला श्रमिक नियोजित हैं अर्थात् बीड़ी बनाना, बीड़ी और सिगार कर्मकार (सेवा शर्तें और नियोजन) अधिनियम, 1966 जैसे सम्बन्ध विधान के निरीक्षण और कार्यपालन की व्यवस्था हो सकती है ।

13. चालू रजिस्टरों में 50,000 और उससे अधिक उम्मीदवारों वाले रोजगार कार्यालयों में कम्प्यूटराईजशन को बढ़ाने से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के सुधार में सहायता मिलेगी और इससे नौकरी ढूढ़ने वालों को भी बहुत सहायता मिलेगी । इस संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा भी आवश्यक सहायता उपलब्ध की जानी चाहिये ।

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

Employees' State Insurance Corporation (Junior Microbiologist) Recruitment Regulations, 1987.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Madam, I beg to lay on the Table, under sub-section (4) of section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948, a copy (in English and Hindi) of the Employees' State Insurance Corporation Notification No. A-12(11)-4/84-Estt-I(A) dated the 28th March, 1987, publishing the Employees' State Insurance Corporation (Junior Microbiologist) Recruitment Regulations, 1987 [Placed in Library. See No. LT-4621/87].

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Madam, I beg to lay on the Table un-